DEMAND FOR EXCLUDING BASIC TELECOM SERVICES FROM PRIVATISATION

2507. SHRI VIREN J. SHAH :
SHRI PRAMOD MAHAJAN :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the telecom employees unions, have demanded that the basic telecom services be excluded from the ambit of any privatisation plan; and

(b) if so, what are their main demands; and

(c) what is Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) The main demands are :

(i) No duality/multiplicity of DOT structure.

(ii) No fragmentation/privatisation of DOT services.

(iii) Creation of independent Telecom Finance Corporation to avoid the need of Corporatisation.

(c) A Joint Committee consisting of members both from DOT management & staff unions was set up to go into the above demands. The Committee has taken note of the view point of the staff unions which would be duly considered by the Government.

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के पास अपर्याप्त निधियां

2508. श्री अजीत जोगी :
चौधरी हरि सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात और निर्यात को बन्द कर दिए जाने के कारण राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके माध्यम से आयात और निर्यात को बन्द कर दिए जाने का क्या औचित्य है;

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को सौंपे गए कार्य को पूरा करने हेतु इसे पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है;

(घ) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के. सिंह देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन

2509. श्रीमती सत्या बहिन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में दूरसंचार सलाहकार समितियों का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समितियों का कार्यकाल कब तक है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) दूरसंचार सलाहकार समितियों के लिए मात्र 132 दूरसंचार सर्किलों/जिलों में से, 119 में दूरसंचार सलाहकर समितियां गठित/पुनर्गठित की जा चुकी हैं ।

(ख) मौजूदा दूरसंचार सलाहकार समितियों के ब्यौरे विवरण (नीचे देखिए) में दिए गए हैं ।

(ग) दूरसंचार सलाहकार समिति के कार्यकाल की अवधि दो वर्ष है ।